न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2018/00011

अनवान

1. श्री शंकर पिता मेघा मीणा, निवासी खोलड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री धुला पिता अमरा मीणा, निवासी खोलड़ी, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)
2. सरकार जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री राजमल राव, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री अरूण जैन, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 18-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम खोलड़ी, तहसील सलुम्बर मे आराजी संख्या 3540 रकबा 0.3300 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 3542 रकबा 0.0700 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो कि असिंचित एवं बंजर हो उस पर काश्त होना संभव नही है। इस भूमि का विपक्षी संख्या 1 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर दिनांक 06.11.2006 को स्वयं के नाम आवंटन करवा लिया। उक्त भूमि स्टेट हाईवे रोड़ के पास है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.03.2017 से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ नही किया जा सकता है। कथित आवंटन से पूर्व न तो उद्घोषणा पत्र जारी हुआ और न ही ओक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड भूमि की कोई सूची तैयार की गई। आवंटन के समय आवंटन कमेटी मे कोई सदस्य उपस्थित नहीं थे। आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है, जबकि प्रार्थी का उक्त भूमि पर उसके पिता के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। इसके बावजूद विपक्षी संख्या 1 ने जरिये नामान्तरकरण संख्या 684 दिनांक 20.02.2018 द्वारा गलत तरीके से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नही है। कथित आवंटन मिसरिप्रजेन्टेशन से कराया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को खारिज किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री अरूण जैन, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर आधारित है। मौजा खोलड़ी, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 3540 एवं 3542 के आवंटन हेतु अनुरोध करने पर विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का कोई पुराना कब्जा काश्त विवदित आराजीयात पर नही है। आवंटन उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर नियमानुसार कब्जा सुपुर्द किया है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि के साथ ही प्रार्थी की भूमि जो आराजी संख्या 3542/1, 3543/1, 3544/1 मे स्थित हो उसके द्वारा शंकर पिता लाला मीणा को विक्रय कर दिया एवं उक्त भूमि का विक्रय करने के पश्चात शेष भूमि मे अपना स्वामित्व बनाये रखा, परन्तु पूर्व विक्रित भूमि मे विक्रित भूमि के क्षेत्रफल से अधिक कब्जा दे दिये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। विपक्षी संख्या 1 अपनी आजीविका के कारण अपने गांव से उदयपुर शहर मे निवास करता है एवं प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर इन्द्रा आवास योजना स्कीम के तहत झूठे तथ्य प्रस्तुत कर राशि भी उठा ली। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि को कृषि उपयोग मे ले रहा है। दिनांक 20.02.2017 को राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये गये मौके पर्चे मे प्रार्थी का कोई हक एवं स्वामित्व नही बताया है। आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा पत्र जारी हुआ है एवं उसकी विधिवत तामिल भी हुई है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अब कोई दाद इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वक्त आवंटन कोई तथ्य विपक्षी संख्या 1 द्वारा नही छुपाये गये है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने के कारण सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गईं। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 205 दिनांक 13.02.2018 से प्रेषित मौका रिपोर्ट में अवगत कराया कि राजस्व ग्राम खोलडी, तहसील सलुम्बर के आराजी संख्या 3540 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, आराजी संख्या 3542 रकबा 0.0700 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड मे श्री धुला पिता अमरा मीणा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। मौके पर उभय पक्ष द्वारा स्वयं का कब्जा होना बताया जा रहा है, किन्तु मौके पर कोई फसल काश्त नही है। मौके पर गत वर्ष प्रार्थी शंकर पिता मेघा मीणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान इस भूमि पर बना रखा है। जिसमे वह परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी शंकर पिता मेघा मीणा का पुराना केलुपोश मकान स्वयं के खाते की आराजी संख्या 3544/1 मे बना हुआ है, वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाया जा सकता था, लेकिन उसके द्वारा वहां नही बनाकर विवादित भूमि पर बना लिया है तथा पुराना मकान अभी भी मौजूद होकर खाली पड़ा हुआ है। मोतबिरान द्वारा भूमि पर कब्जा काश्त विपक्षी संख्या 1 श्री धुला पिता अमरा मीणा

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

का होना बताया। तहसीलदार से मामले मे मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति को रेकर्ड पर वास्ते बहस रखा जाने मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त न करने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति को रेकर्ड पर रखा जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौके पर भूमि का बंजर होना, प्रार्थी का पुराना कब्जा होना, भूमि का स्टेट हाईवे रोड़ से सटमा होना, वक्त आवंटन कोरम अपूर्ण होना, उद्घोषणा पत्र जारी न होना, ओक्यूपाईड व अनओक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न होना, गलत तरीके से खातेदारी अधिकार दिया जाना, आवंटन मे मिसरिप्रजेन्टेशन होना अवगत कराया एवं विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने की मांग की। प्रार्थी अधिवक्ता अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः—

- आर.आर.टी 2005(1) पृष्ठ 83
- आर.आर.टी 2007(2) पृष्ठ 1048

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये विपक्षी संख्या 1 को विधि अनुसार आवंटन होना, आवंटन से पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी होना, आवंटन कमेटी को कोरम पूर्ण होना, आवंटन पश्चात् भूमि काश्त योग्य बनाना एवं विपक्षी संख्या 1 का रेकर्डेड खातेदार हो जाना आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखे जाने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने बाबत् निवेदन किया एवं अनुरोध किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति आदि का आवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा खोलड़ी, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 3540 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, आराजी संख्या 3542 रकबा 0.0700 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की जांच उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विधायक, विकास अधिकारी, संरपच आदि के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप मे उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट मे पाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

यह साबित हो सके की प्रार्थी का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना करने पर ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14(4) की कार्यवाही जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी आवंटी भूमिहीन नही है एवं उसके पास पूर्व से भूमि उपलब्ध है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 मे वर्णित भूमिहीन कृषक की परिभाषा मे विपक्षी संख्या 1 न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मे भी विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी भूमि मे प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करने का तथ्य सामने आया है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को आवंटित आराजी स्टेट हाईवे से सटमा होना बताया है, किन्तु वर्ष 2006 मे वक्त आवंटन वहां स्टेट हाईवे अवस्थित हो अथवा आवंटित भूमि स्टेट हाईवे के सटमा हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.03.2017 को पटवारी द्वारा जारी मौका रिपोर्ट का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट एक तरफा हो आवंटी की मौजुदगी मे नही बनाई गई है। आवंटन में किसी प्रकार का मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने से खातेदार के आवंटन को निरस्त कर भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा नही होते हैं। उपरोक्त समग्र तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा खोलड़ी, तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 3540 रकबा 0.3300 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 3542 रकबा 0.0700 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 श्री धुला पिता अमरा के पक्ष मे उपखण्ड अधिकारी सलुमब्र द्वारा मिसल संख्या 610/2006 से किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.11.27 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested